Tender Documents

Construction & Renovation of Charging Drain, Desilting of Kyar No. 11 & 12, Charging and Discharging drain at Gudha Circle.

Tender No.	66-Works/2015-2016/
Tender Issue date	22.09.2016
Last date and time of submission of tender	30-09-2016 upto 15.00 Hrs. at office of General Manager (Works) Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake, Pin- 303 604 Dist. Jaipur (Rajasthan)
Date of opening of tender	30-09-2016 at 15.30 Hrs. at office of General Manager (Works) Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake, Pin- 303 604 Dist. Jaipur (Rajasthan)
Cost of tender form	Rs.500/- by CASH/DD drawn in favour of Sambhar Salts Limited and payable at Sambhar Lake (Rajasthan)
EMD	Specified EMD to be deposited by DD drawn in favour of Sambhar Salts Limited and payable at Sambhar Lake(Rajasthan).

Sambhar Salts Limited

(A Government Enterprise) CIN:
U14220RJ1964GO1001188
Registered Office: B-427, Pradhan Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302017 (Raj.)
Tel/ Fax: 0141-2524093 / 2521998
Unit : Sambhar Lake, Pin- 303 604, Dist. - Jaipur(Raj.)
Phone: 01425-224249; Fax : 01425-224244
E mail: sambhar@bsnl.in site: www.indiansalt.com

INDEX

S. No.	DESCRIPTION	PAGE No.
1.	Notice Inviting Tender (NIT)	3
2.	Techno-Commercial Bid (Part-I)	4
3.	Specification	5
4.	General Rules and Guidance for Inviting Tender	6
5.	General Terms & Conditions of Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake	11
6.	Price Bid	25

SAMBHAR SALTS LIMITED

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

Sambhar Lake, Sambhar

NOTICE INVITING TENDER

No. 66-Works/2015-2016/ Date.22.09.2016

Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake, Sambhar invites sealed tenders, from reputed Contractors Registered in appropriate class with CPWD/PWD/Municipal Authorities/Semi Govt. Organization and having executed the similar kind of work for :-

1. NAME OF WORK : **Construction & Renovation of Charging drain, desilting of Kyar No. 11 & 12, Charging and discharging drain at Gudha Circle.**

2. Details of Lots /Location , Completion Period and Earnest Money Deposit are as follows :

LOT NO.	LOCATION	COMPLETION PERIOD	EARNEST MONEY (Rs.)
1.	Gudha Kyar	30 Days	20,000=00

3. LAST DATE & TIME FOR SUBMISSION OF TENDER. : 30.09.2016 up to 15.00 hours.

4. DATE & TIME FOR OPENING OF TENDER : 30.09.2016 at 15.30 hours

5. Tender document may be obtained from the General Manager (Works) office, Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake on any working days on payment of cost of tender Rs. 500/- (non-refundable) on or before 30.09.2016 through cash/Bank draft in favour of Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake. Notice Inviting Tender Document may be down loaded from the web site- **www.indiansalt.com** . However, in this case, the cost of tender document will have to be deposited at the time of submission of tender through DD.

6. While applying for issue of tender documents, valid Income Tax Clearance Certificate and Registration certificate with attested copies as applicable along with application on their printed letter heads and a list of works executed with their value and period of construction should be given. Tender document will be issued to experienced parties having executed work of similar magnitude.

7. Earnest money mentioned above should be accompanied with the tender in the shape of DD in favour of Sambhar Salts Limited Payable at Sambhar Lake.

8. Tender shall be received on 30.09.2016 up to 15.00 hours at General Manager (Works) office, Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake and shall be opened on the same day at 15.30 hours in presence of tenderer who wish to attend.

9. Change in terms and conditions or the specifications or schedule of completion shall not be accepted. Such conditional tenders are liable for rejection.

10. The Company reserves the right to accept or reject any/all tenders without assigning any reason whatsoever and decision of the Company shall be final and binding on tenderer.

-Sd/-

General Manager

File No.- 66-Works/2015-2016/

Part-I

Sambhar Salts Limited

(A Government Enterprise)

Sambhar Lake – 303604

(Technical & Commercial Bid)

S.No.

Tender form for :- Construction & Renovation of Charging drain, desilting of Kyar No. 11 & 12, Charging and discharging drain at Gudha Circle.

LOCATION: Gudha Kyar

(1) Name of the tenderer with full address.

(2) (A) Sales Tax Registration No.
(B) Income Tax Registration No.
(C) Pan Number

(3) D.D./M.R. No. of earnest money.

(4) Registration No. of firm.

(5) Firm's status.

(6) Experience detail in the same field/ job. (Please attached the photo copies of the work order.)

(7) Solvency certificate.

(8) Banker's name and Bank Account No. (Including type of account i.e. saving, current or other)

(9) Details of various civil works executed by the party in other government departments for Supporting documents.

I/We certify that above information furnished by me/us are correct to the best of my/our knowledge.

A copy of the terms & condition contained in the detailed tender notice duly signed by me/us in token of my/our acceptance is enclosed herewith.

Signature of Tenderer with seal.

-:: **SPECIFICATION** ::-

(1) General C.P.W.D. Specification will be followed.

(2) Quantity can be increased or decreased as per the strata of Soil & requirement of Company.

(3) Contractor shall have to arrange all type of materials, equipment, machine, tools etc.

(4) The running bill and final bill payment will be made to the contractor within 30 days after submission of bill and verified and satisfaction by the Company.

(5) Curing will be done by the contractor as directed by the company or minimum seven day on each ring.

(6) If any tools & plant be given by the company to the contractor on his request, the contractor will be responsible for that. If he fails to return the same then the cost of T. & P. will be deducted for his bill/E.M.D. etc.

(7) The contractor shall have to complete the work within 30 Days from the date of awarding the contract without fail.

(8) Sweet water will be used for mortar.

(9) Tor steel of IS mark will be accepted.

(10) Dewatering work etc. will be done by the Contractor but the electricity (Power) etc. will be provided by the Company.

(11) Only Machine cut ballast will be accepted.

Name of Contractor (Signature)

Sambhar Salts Limited

(A Government Enterprise)

<u>Sambhar Lake – 303604</u>

<u>General Rules and Guidance for Inviting Tender</u>

(1) Tender form for :- **Construction & Renovation of Charging drain, desilting of Kyar No. 11 & 12, Charging and discharging drain at Gudha Circle.**

(2) The tender form can be obtained / downloaded from the General Manager (Works) office, Sambhar Salt Limited Sambhar Lake on any working day or from company web site www.indiansalt.com up to 12:00 Noon On or before 30/09/2016. The Tender duly completed in all respect shall be received by 30/09/2016 up to 3:00 PM. The Technical & Commercial bids of the tender will be opened on the same day at 3:30 PM in presence of the tenders are remain present.

(3) Tender is to be submitted in a sealed envelope in the manner prescribed below:-

(A) Tender document should be submitted in a separate sealed cover super- scribing. "**<u>Technical & Commercial Bid</u>**"

(B) The price bid should be submitted in the prescribed Performa in separate sealed cover and super-scribing. "**<u>Price Bid</u>**"

(C) Both the sealed covers should be submitted in a separate sealed covers marked.

(4) All amount shall be indicated by the tenderers in figures as well as in words. Where there is any difference between prices quoted in figures and words, amounts quoted in words shall be prevail. Tender should be free from over writing corrections, mutilations etc., However any correction and mutilations should be duly attested by the tenderers.

(5) The Tenderer should pay requisite earnest money deposit in Cash/ FDR/D.D. payable at State Banks of India, Sambhar Lake in favour of Sambhar Salts Limited, Sambhar Lake.

(5.1) The successful tenderer will have to deposit 3% SMD of value of contract as performance guarantee.

(5.1.1) If in case the party fails to Complete the work within the time limit after acceptance of their tender then the earnest money and SMD both so deposited will be forfeited by the Sambhar Salts Limited and a penalty @ 0.50 % per week of the total contract value and maximum upto 10% will be imposed and recovered from the contractor.

(5.1.2) In case of any default by the supplies/contractor within the defect liability period i.e. one year from the date of completion of work, the contractor will be responsible to repair and remove the defect.

(6) When the tenderer submits tender in response to this tender notice, he will be deemed to have under stood fully about the requirements, Terms and Conditions. No extra payment will be made on the pretext that the Tenderer did not have a clear idea of any particulars point or work or scope of work.

(7) Incomplete and late tender are liable to be rejected out rightly, however management reserve the right to accept or reject all or any or part of the tender without assigning any reasons what-so-ever. Tender found contrary to the terms and conditions as contained in the tender document are also liable to be rejected without assigning any reason and entering in to correspondence.

(8) Tender shall be valid for acceptance up to 90 days from the date of opening of the tender. No revision / modifications in the tender and rate or the withdrawal of the tender will be allowed during the period of validity of tender or during extended period, if any. Withdrawal of offer with in the stipulated validity period will entitle the company to forfeit the EMD of the tenderers.

(9) Negotiation will be held with the lowest tenderers only, if required.

(10) The work have to complete within **30 Days** from the date of awarding the contract.

(11) Canvassing in connection with tenders is strictly prohibited and tenders is liable to be rejected.

(12) **DIFFERNCES OR DISPUTES :-**

12.1 **Mutual Settlement of Disputes**

12.1.1 Except where otherwise provided for in the contract, all disputes shall in the first place be resolved through mutual discussions, negotiations, deliberations and consultations associating senior executives /nominees of both the parties to dispute.

12.2 **Conciliation**

12.2.1 If the efforts to resolve all or any of the disputes through mutual settlement fail, such disputes shall be referred to the sole conciliator to be appointed by the Company under the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

12.2.2 The settlement agreement shall be final and binding on the parties. The settlement agreement shall have status and effect of an arbitration award.

12.3 **Arbitration**

12.3.1 If the efforts to resolve all or any of the disputes thorough conciliation fail, such disputes shall be referred to the sole Arbitrator to be appointed by the Chairman cum Managing Director, Hindustan/Sambhar Salts Limited. There shall be no objection by the “CONTRACTOR” if the sole Arbitrator so appointed is an employee of Company. In case the Arbitrator so appointed is unable to act for any reason, Chairman & Managing Director, Hindustan/Sambhar Salts Limited, in the event of such inability, shall appoint another person to act as an Arbitrator in accordance with the terms of the contract. Such persons shall be entitled to proceed with reference from the stages at which it was left incomplete by his predecessor.

12.3.2 Subject to the afore stated conditions, the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 or any statutory modification or re-enactment thereof and the rules made there under and for the time being in force shall apply to the conciliation and arbitration proceedings under this clause.

12.4 Pending resolution of disputes and differences, the work shall continue without hindrance as per schedule and shall not be either slowed down or stopped. If the work is slowed down or stopped during the period of dispute, the “CONTRACTOR” shall be responsible for the loss of work /production or delays and any loss sustained by Company due to such actions by the “CONTRACTOR”, shall be made good by the “CONTRACTOR”.

12.5 The Arbitrator may from time to time, with the consent of all parties, extend the time in making the award.

12.6 The cost incidental to the arbitration shall be at the discretion of the Arbitrator. The arbitration shall be conducted at Jaipur (Rajasthan) or at such other place or places as the Arbitrator may so decide.

(13) **JURISDICTION :-**

Subject to clause 12 above, it is hereby agreed that all actions at law or suits arising out of, or in connection with this contract or the subject matter there of whether as to supply, Construction or otherwise shall be constituted in court of competent jurisdiction at Sambhar, Nawa or Jaipur in the State of Rajasthan.

(14) **GOVERNING LAWS AND RIGHT OF INDEMNITY OF THE COMPANY:-**

The contractor shall indemnify the company represented through the General Manager (Works) for all the injuries caused to any person or public property due to his negligence or to the negligence of his workers.

(i) The Contractor shall comply with all the provision of the statutory Acts and rules framed there under particularly in respect of the Factory Act.1948 the payment of wages Act, 1936, the industrial Dispute act 1947,the industrial employment standing Order act 1946, the minimum wages act 1948, The conciliation of statics act 1953, the workmen's compensation act 1936, fatal Accident act,1935, Personal injuries (Compensation insurance) act 1963, The track union act 1926, Maternity Benefit Act,1961, Employees provident fund act 1952, Contract Labour (Regulations and Abolition) Act,1970,Indian contract act 1872 and the rules framed by the state government in respect of various labour Acts as demanded from time to time and shall also comply with the provision of any other enactment, status rules, regulations made by a competent authority and on force in the state during the currency of the contract. The contractor shall indemnify the company for the penalties on account of Breach of any of the conditions there under.

(ii) The company shall remain indemnified by the Bidder against any claim arising under the payment of Wages Act, or the payment of Bonus, C.P. Fund or Gratuity of Compensation Act arising during the pendency of the contract. All such claims will be met with by the Bidders themselves from the payment made to them.

(15) **FORCE MAJEURE**

In case either of parties fail, to full fill, in time, then, respective contractual obligation owing to future event beyond their control like Acts of God (including fire, flood, earthquake, storm, hurricane or other natural disaster), war, invasion, act of foreign enemies, hostilities, civil war, rebellion, from time to time for performance of such obligation/responsibility shall automatically extended for the period of force majeure. Provided force majeure is established & one party shall inform to the other party for such occurrence but no one party shall blame other party and claim by the Bidder due to force majeure condition, & both parties mutually agree to further course of action.

(16) **POWER OF ATTORNEY:-**

A person signing the agreement or any documents forming part of the contract on behalf of the bidder shall be responsible to produce a proper power of attorney duly executed and attested by a Notary public under the Notaries Act in his favor stating that he had authority to bind the Bidder in all matters pertaining to the contract including the arbitration clause.

(17) **NOTICES :-**

Any notice hereunder may be served on the Bidder by registered mail at his last known address. Proof of issue of any such notice will be conclusive of the Bidder having been duly informed.

(18) **RECESSION AND CANCELLATION OF CONTRACT**

If any technical or legal complication arises through statutory agencies or any other reason, during the period of contract, then contract shall be terminated by the company at its discretion by giving 7 days' notice to the party and party shall not claim any damages for such cancellation of contract.

(19) NON SUBLETTING OF CONTRACT

The Contractor is barred from any sub-letting of contract of any nature.

20: DAMAGES UNDER THE CONTRACT:

Loss or Damage to Company's Property:

i) The Contractor shall carry out the work without damage and/or interference to any other work, machines or equipment and property of the company or other contractors of company in area, adjacent to the area of Contractor's work.

ii) In case during the execution of contract by the Contractor any loss or damage occurs to any property of Sambhar Salts Limited, then contract shall be terminated by the company and the amount deposited by the party shall be forfeited.

iii) For damaging the company property Civil and Criminal proceedings will be initiated against the Contractor at the discretion of company and loss incurred by the company due to such damages will be recovered from the Contractor.

21 : **MAINTENANCE OF DISCIPLINE BY THE CONTRACTOR**

The Contractor shall be liable to comply with covenants of contract and tender documents. The company expected the Contractor and his representatives and the labour to conduct themselves in a disciplined manner. All rules and instructions pertaining to well-being of the factory and its precincts, the sanitation and health etc. should be adhered to and in the event of any theft, arson or any antisocial activities on the part of the Contractor, his employees or his labour, the company shall have the right to terminate the' agreement.

23. **SAFETY OF PERSONNEL**

i) The contractor shall cover all personnel deputed for production under appropriate insurance scheme. ii) The company shall not be responsible or held responsible or held liable for any damage to person or property that may result during the execution of contract by the contractor.

iii) The contractor has to agree to indemnify the company from any or all claims for damages that may result during the execution of project by the contractor.

iv) The contractor shall provide all safety gears and livery to its workmen to ensure their safety and protection from injuries during the execution of works.

The above terms & conditions are acceptable to me/us.

Date :

Name & Signature of Contractor

सॉभर साल्ट्स लिमिटेड
सॉभर लेक (सरकारी उपक्रम)

निर्माण कार्य संविदागत ठेके सम्बन्धी सामान्य निर्देश और शर्ते

संविदाकारों के मार्गदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

(१) संविदा पर किए जाने वाले सभी कार्यो को स्थानीय या प्रादेशिक पत्र में दिए गए निविदा आमंत्रण के फार्म द्वारा सार्वजनिक स्थानों के पंजीकृत संविदाकारों को, कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से वैयक्तिक अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

किए जाने वाला कार्य निविदा देने और खोलने की तारीख और कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय, साथ ही निविदा के साथ जमा की जाने वाली ब्याना की राशि और सफल निविदादाता द्वारा जमा की जाने वाली जमानत जमा की राशि और यदि बिल में से कोई राशि घटाई जानी है उसे इस फार्म में बताया जाएगा। कार्य से सम्बन्धित उन आवश्यक विशिष्यों और डिजाईनों और ड्राईगों का और अन्य दस्तावेजों का जिन पर पहचान के लिए हस्ताक्षर किए गए हों संविदाकार सिविल इंजीनियर के कार्यालय, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड (इसके बाद इसे कम्पनी कहा जाएगा) में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण कर सकते है।

(२) यदि किसी फर्म ने निविदा प्रस्तुत की है तो उस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य के अलग-अलग हस्ताक्षर होने चाहिए या किसी साझादार के अनुपस्थित होने पर, उस पर उसको और से किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्यारनामा हो। इस मुखतार नामे को निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाये और यह बताया जाना चाहिए कि भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन यह फर्म विधिवत पंजीकृत है।

(३) सिवाय उन मामलों के जिनमें निविदा में संविदाकारों को फर्म के रूप में बताया गया है फर्म द्वारा निष्पादित प्रत्येक कार्य के लिए की गई अदायगी की रसीद पर भी कई साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। रसीद फर्म के नाम में, एक साझेदार के या किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसे फर्म की और से प्रभावी रसीद देने का प्राधिकार हो।

(४) निविदा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति सामान्य मुद्रित फार्म भरेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि कार्य की प्रत्येक मद के लिए वह क्या दर लेना चाहता है।

(५) कम्पनी द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाई गई समिति का यूनिट प्रबन्धक उस समय उपस्थित किसी इच्छुक संविदाकार की उपस्थिति में निविदा खोलेगा और कई निविदाओं की राशि को उपयुक्त फार्म में तुलनात्मक विवरण में दर्ज करेगा। निविदा स्वीकार हो जाने पर, उसके साथ अग्रेषित बयाना की रसीद संविदाकार को दी जाएगी उसके बाद वह पहचान के लिए नियम १ में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा अस्वीकार किये जाने पर, उसके साथ अग्रेषित बयाना निविदा देने वाले संविदाकार को लोटा दिया जाएगा।

(६) उपयुक्त समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(७) निविदा फार्म जारी करने से पहले जिस कार्य के लिए निविदा दी गई है उसका ज्ञापन और कम्पनी द्वारा पूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुसूची और उनकी निर्गम दरें, कम्पनी के कार्यालय में भरी और पूरी की जानी चाहिए। यदि इच्छुक निविदादाता को इस प्रकार भरे बिना फार्म जारी कर दिया जाता है तो निविदा फार्म पर भर कर देने से पहले कार्यालय से इसे भरने का अनुरोध करेगा।

खण्ड–२ काम को पूरा करने के लिए दिये गये समय का, जैसा कि निविदा में वह दर्ज किया गया है, संविदाकार द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा और वह उस तारीख से गिना जायेगा जिस तारीख को संविदाकार को काम शुरू करने का आदेश दिया जाता है। वह काम निविदा की निर्धारित अवधि भर (समय निविदाकार की और से निविदा का सार माना जाने की वजह से) पूरे परिश्रम से किया जायेगा और निविदाकार उचित तारीखों के बाद काम शुरू न होने अथवा अधूरा पडा रहने पर सम्पूर्ण काम की अनुमानित लागत की रकम जैसी कि संविदा में दिखाई गई हैं, के दो प्रतिशत के बराबर रकम अथवा इससे ऐसी कम रकम जो यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड (जिसका लिखित फेसला अन्तिम होगा) तय करे, प्रतिकर के रूप में अदा करेगा और कार्य के निष्पादन के दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, निविदाकार ऐसे सभी मामलों में जिनमें किसी काम को करने के लिए दिया गया समय एक महीने से ज्यादा हो जाता हैं, निविदा के अन्तर्गत दिए गए सम्पूर्ण समय का एक चौथाई हिस्सा समाप्त होने से पहले सम्पूर्ण काम का चौथाई हिस्सा पूरा करने के लिए ऐसे समय के आधे समय से पहले आधा काम पूरा करने के लिए आर ऐसे समय का तीन चौथाई हिस्सा समाप्त होने से पहले तीन चौथाई काम पूरा करने के लिए बाध्य होगा। इस शर्त का पालन करने में निविदाकार के असफल रहने की स्थिति में, वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें काम उचित मात्रा में अधूरा रह जाता हैं, सम्पूर्ण काम की उक्त अनुमानित लागत के दो प्रतिशत के बराबर रकम अथवा इससे छोटी ऐसी रकम जो प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड तय करे, प्रतिकर के रूप में अदा करने के रूप में अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा, परन्तु सदैव यह भी इस खण्ड के उपबन्धों के अन्तर्गत अदा की जाने वाली पूरी रकम निविदा में दिखाई गई कार्य की अनुमानित लागत की एक प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

खण्ड–३ ऐसे किसी भी मामले में जिसमें इस संविदा के किसी खण्ड अथवा खण्डों के अन्तर्गत संविदाकार अपनी सम्पूर्ण जमानत जमा की रकम के बराबर प्रतिकर अदा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा (चाहे वह इकट्‌ठी रकम के रूप में अदा की गई हो या किश्तों में कटौती द्वारा अथवा उसने खण्ड १६ (ख) में अन्तर्विष्टि शर्तो में से किसी शर्त का उल्लंघन किया हो) वहां यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड को यह अधिकार होगा कि नीचे बताए गए रास्तों में से ऐसा कोई भी रास्ता जो वह कम्पनी के हित में सबसे उपयुक्त समझें, अख्तियार करे :–

(क) संविदा को विखडिंत करना (यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड के हस्ताक्षरों से संविदा को दिया लिखित विखंडन का नोटिस जिसका निश्चायक साक्ष्य होगा) और ऐसी स्थिति में संविदाकार की जमानत जमा का अधिहरण हो जाएगा, और वही पूरी तरह से कम्पनी के अधिकार में होगी।

(ख) ऐसे अन्य मजदूरों को काम पर रख लेगा, जिन्हें कम्पनी वेतन देगी अथवा काम को अथवा काम के किसी हिस्से को पूरा करने के लिए सामग्री की पूर्ति करना, मजदूरी का खर्चा और सामग्री का मूल्य संविदाकार के नाम खर्च लिखना (जिसकी लागत और मूल्य की रकम के बारे में यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा संविदाकार के विरूद्ध दिया गया प्रमाण पत्र अन्तिम और निश्चायक होगा) और किए गए काम मूल्य सभी दृष्टिया से बिल्कुल उसी तरीके और बिल्कुल उन्हीं दरों पर उसके नाम जमा करना जिस प्रकार कि वह काम उसकी संविदा की शर्तो के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा ही किया जाता और किए गए काम के मूल्य के विषय में यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा संविदाकार के विरूद्ध दिया गया प्रमाण पत्र अन्तिम और निश्चायक होगा।

(ग) संविदाकार के काम को मापना और उसका ऐसा हिस्सा अपने हाथ में ले लेना, जो कि उसके द्वारा अधूरा पडा है और उसे पूरा करने के लिए किसी दूसरे संविदाकार को देना ऐसे मामले में ऐसे कोई खर्चे जो उस राशि से अधिक है जो कि मूल संविदाकार को सम्पूर्ण काम उसके द्वारा निष्पादित किए जाने पर दी जाती (उस अधिक खर्च के बारे में यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड का प्रमाण पत्र अन्तिम और निश्चायक होगा) मल संविदाकार द्वारा वहन और अदा किये जाऐगें और वे कम्पनी द्वारा उसे देय किसी भी रकम

में से संविदा के अन्तर्गत अथवा अन्यथा उसकी जमानत जमा अथवा उसकी बिक्री से (अथवा उसके एक पर्याप्त भाग की बिक्री से) प्राप्त होने वाली आय में से काटे जा सकते है। यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त रास्तों में से कोई भी रास्ता अपनाए जाने की स्थिति में संविदाकार उसके द्वारा कोई सामग्री खरीदे जाने अथवा प्राप्त किए जाने अथवा किन्हीं कार्यो में लग जाने अथवा काम के निष्पादन अथवा संविदा के निष्पादन के कारण या इन्हें ध्यान में रख कर दी गई किसी पेशगी की वजह से उठाई गई हानि के लिए प्रतिकार का दावेदार नहीं होगा। और जिस मामलें में पूर्वोक्त उपबन्ध के अन्तर्गत संविदा विखंडित की जायेगी उसमें संविदाकार संविदा के अन्तर्गत उसके द्वारा वास्तव में निष्पादित किए गए किसी काम से लिए तब तक कोई राशि वसूल करने अथवा उसे अदा किए जाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह यूनिट प्रबन्धक का ऐसे काम के निष्पादन और उसके विषय में देय मूल्य के बारे में सन्तुष्ट नहीं कर देता और वह केवल इस प्रकार से प्रमाणित किए गए मूल्य की अदायगी प्राप्त करने का ही हकदार होगा।

खण्ड–४ ऐसे किसी मामलें में, जिसमें यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड को इस पत्र के खण्ड ८ द्वारा प्रदत्त शक्तियों में किसी शक्ति का प्रयोग करना जरूरी हो गया हो और उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया हो वहॉ उस शक्ति का प्रयोग न करने का अर्थ यह नहीं होगा कि इस पत्र में दी हुई शर्तो में से किसी भी शर्त का अधित्याग कर दिया गया है और संविदाकार द्वारा की गई ऐसी चूक के किसी भावी मामले की स्थिति में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना विरोधी नहीं होगा। जिस विषय में उसे इस पत्र के किसी खण्ड अथवा खण्डों द्वारा उसकी जमानत जमा की रकम के बराबर प्रतिकार अदा करने के लिए जिम्मेदार घोषित किया गया है। और पहले के अथवा भावी प्रतिकार के विषय में संविदाकार की देयता अप्रभावित ही रहेगी। यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा, पूर्व खण्ड के अन्तर्गत उसे दी गई (क) अथवा (ग) शक्तायों में से किसी भी शक्ति का प्रवर्तन कराये जाने की स्थिति में, वह अगर ऐसा चाहे तो, निर्माण कार्य में या उस पर लगे हुए या उस स्थाान पर पडे हुए अथवा संविदाकार से सम्बन्धित अथवा उसके द्वारा प्राप्त किए गए और काम अथवा उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने के प्रयोजन से रखे हुए तमाम औजार, संयंत्र सामग्री और भण्डार का कब्जा ले सकता है और लेखे में संविदा दर पर उनकी अदायगी अथवा समायोजन कर सकता है, अथवा इनके चालू बाजार दरों पर प्रयोजनीय न होने की स्थिति में अथवा यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा उससे यह कहा जाए कि वह ऐसे औजार, संयंत्र सामग्री अथवा भण्डार को एक निश्चित समय के अन्दर जिसका ऐसे नोटिस में विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा परिसर से हटा ले और संविदाकार के ऐसी किसी मांग का पालन न कर पाने की स्थिति में कम्पनी का यूनिट प्रबन्धक संविदाकार के खर्च पर उन्हें वहॉ से हटा सकता है अथवा संविदाकार की ओर से प्रत्येक दृष्टि से उसकी जिम्मेदारी पर उन्हें नीलाम द्वारा अथवा निजी बिक्री द्वारा बेच सकता है।

खण्ड–५ अगर संविदाकार अपने कार्य निष्पादन में पडी अपरिहार्य बाधा के आधार पर अथवा अन्य किसी आधार पर काम को पूरा करने का समय बढवाना चाहेगा, तो वह उस बाधा के सामने पडने की तारीख से ३० दिन के अन्दर, जिसके आधार पर पूर्वोक्त प्रकार का समय बढवाना चाहता है, कम्पनी के यूनिट प्रबन्धक के सामने लिखित में आवेदन करेगा और यूनिट प्रबन्धक, सॉभर साल्ट्स लिमिटेड, यदि उसकी राय में (जो अन्तिम होगी) इस के लिए उचित कारण बताये गए हैं तो, ऐसा समय बढाने का, अगर कोई हो तो प्राधिकार दे सकता है, जों उसकी राय में जरूरी और उचित है।

खण्ड–६ काम पूरा हो जाने पर, संविदाकार को कम्पनी के सिविल इंजीनियर द्वारा इस प्रकार काम पूरा होने का एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा लेकिन तब तक ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और न ही कार्य को पूरा हुआ माना जाएगा जब तक कि संविदाकार उस परिसर में जिस पर कि निर्माण कार्य निष्पादित किया जाएगा, ढांचा, बची हुई सामग्री और कूडा करकट नहीं हटाएगा और लकडी के काम, दरवाजों, खिडकियों, दीवारों, फर्शो अथवा ऐसी किसी भी इमारत के अन्य हिस्सों से धूल मिट्टी साफ नहीं कर देगा, जिसमें जिस पर या जिसके आसपास काम निष्पादित किया जाने वाला है अथवा उसने उस काम का निष्पादन करने के प्रयोजन से जो अपने पास रख

रखी थी और न तब तक कम्पनी के सिविल इंजीनियर द्वारा काम का नाप लिया जाएगा जिसके द्वारा नाप कराया जाना संविदाकार के लिए बाध्यकर और श्चियक होगा अगर संविदाकार काम पूरा करने के लिए निश्चित की गई तारीख को या इससे पहले ढांचा बची हुई सामग्री और कूडे करकट को हटाने और धूल मिट्टी की सफाई के बारे में इस खण्ड की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है तो कम्पनी संविदाकार के खर्च पर ऐसे ढांचे बची हुई सामग्री और कूडे करकट को हटवा सकती है और उसका उस तारीख से निपटान कर सकती हैं जों कि वह ठीक समझती है और पूर्वोक्त प्रकार की धूल मिट्टी की सफाई करा सकती है। और संविदाकार इस प्रकार उठाए गए तमाम खर्चो की रकम तत्काल अदा करेगा और वह पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे किसी ढांचे, बची हुई सामग्री के विषय में, उसके विक्रय से वास्तव में वसूल की गई किसी राशि के सिवाय, कोई दावा नहीं करेगा।

खण्ड–७ एक हजार रूपये तक की अनुमानित लागत वाले निर्माण कार्यो के लिए तब तक कोई अदायगियॉं नहीं की जाएगी जब तक कि सारा का सारा निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता और काम पूरा कर लिए जाने का प्रमाण पत्र नहीं दे दिया जाता। लेकिन ऐसे निर्माण कार्यो के मामले में, जिनकी अनुमानित लागत एक हजार रूपये से ज्यादा है, संविदाकार द्वारा इस समय अनुमोदित और पास किए हुए उसके हिस्से के अनुपात में मासिक भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा जिसका ऐसे अनुमोदन और देय राशि विषयक प्रमाण पत्र संविदाकार के लिए अन्तिम और निश्चायक होगा। लेकिन ऐसी सभी मध्यवर्ती अदायगियों को अन्तिम भुगतान के विरूद्ध पेशगी के जरिये की अदायगी मात्र माना जाएगा, न कि वास्तव में किए गए और पूरे किए गए काम के लिए की गई अदायगी के रूप में और वह खराब कमजोर और दोषपूर्ण अथवा अकुशल निर्माण कार्य को हटा देने और तोड देने और फिर से बनाने या फिर से तैयार करने की मांग किए जाने में बाधक नहीं होगा अथवा उसे संविदा अथवा उसके किसी भाग के किसी भी रूप में उचित निष्पादन की स्वीकृति अथवा किसी दावे का जमा होना नहीं समझा जाएगा और नहीं वह इन शर्तो अथवा इनमें से किसी शर्त अन्तर्गत हिसाब की या अन्यथा अन्तिम चुकौती और समायोजन के बारे में कम्पनी के अधिकारी को किसी रूप में समाप्त निश्चित या प्रभावित नहीं करेगा अथवा अन्य किसी रूप में संविदा में परिवर्तन नहीं करेगा या उसे प्रभावित नहीं करेगा। संविदाकार द्वारा, निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित की गई तारीख से एक महीने के अन्दर अन्तिम बिल प्रस्तुत कर दिया जाएगा अन्यथा कम्पनी के सिविल इंजीनियर का माप का प्रमाण पत्र और तदनुसार काम के देय कुल रकम सभी पार्टियों के लिए अन्तिम और बाध्यकर होंगे।

खण्ड–८ पूर्व महीने में निष्पादित सारे काम के लिए संविदाकार द्वारा हर महीने कम्पनी द्वारा निश्चित की गई तारीख को या उससे पहले एक बिल प्रस्तुत किया जाएगा और कम्पनी उसका सत्यापन कराने के प्रयोजन से उसका अपेक्षित नाप लेगी या उसकी व्यवस्था करेगी और अगर सम्मत हुआ तो दावे का, जहॉं तक वह स्वीकार्य होगा, बिल पेश किए जाने से दस दिन समाप्त होने से पहले समायोजन कर दिया जाएगा अगर संविदाकार पूर्वोक्त रूप में निश्चित समय के अन्दर बिल प्रस्तुत नहीं करता है तो कम्पनी किसी अधीनस्थ की संविदाकार की उपस्थिति में उक्त निर्माण कार्य का नाप देने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकती हैं, जिसके नाप सूची पर किए हुए प्रतिहस्ताक्षर प्रर्याप्त प्रमाण माने जायेगें और कम्पनी ऐसी सूची से बिल तैयार कर सकती है जो सभी दृष्टियों से संविदाकार के लिए बाध्यकर होगा।

खण्ड–९ संविदाकार सभी बिल छपे हुए फार्मो पर प्रस्तुत करेगा जो आवेदन करने पर ईकाई प्रबन्धक, सॉंभर साल्ट्स लिमिटेड के कार्यालय से आवेदन कर प्राप्त किए जा सकते है और बिल में भरे जाने वाले खर्चे सदैव निविदा में बताई गई दरों पर ही चढाए जाएगें अथवा इन शर्तो के अनुसार में किसी अतिरिक्त काम का आदेश दिए जाने की स्थिति में, जिसका उल्लेख निविदा में नहीं किया गया है या जिसका उसमें व्यवस्था नहीं की गई हैं, ऐसे निर्माण कार्य के लिए इसमें इसके पश्चात् दी गई दरों पर भरे जाएगें।

खण्ड–९ (क) संविदाकार की देय रकमें, अगर वह ऐसा चाहे तो, सीधे उसे ही अदा करने के बजाय उसके बैंक को अदा की जा सकती है। जहाँ ऐसे बैंक द्वारा दी गई रसीद अदायगी का पूरा और पर्याप्त प्रमाण होगा, वहीं जहाँ सम्भव होगा वहां संविदाकार को चाहिए कि वह अपने बैंकरों के माध्यम से अपने विदिवत रसीदों और भुगतान प्राप्त बिल पेश करे।

खण्ड–१० अगर निर्माण कार्य के विनिर्देश अथवा प्राक्कलन में सप्लाई की जाने वाली किसी विशेष प्रकार की सामग्री के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई हैं, तो संविदाकार को ऐसी सामग्री और सामान की सप्लाई की जाएगी जिसकी वह केवल संविदा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल के लिए समय–समय पर मांग करेगा। संविदाकार को सप्लाई की जाने वाली समस्त सामग्री पूर्णतः कम्पनी की सम्पत्ति रहेगी और वह किसी भी कारण से निर्माण कार्य स्थल से हटाई नहीं जाएगी और हर समय कमपनी के सिविल इंजीनीयर के निरीक्षण के लिए सुलभ रहेगी संविदा के पूरे होने अथवा पर्यवसान के समय अप्रयुक्त और पूर्णतः अच्छी हालत में बची हुई ऐसी कोई सामग्री कम्पनी के भण्डार को लौटा दी जाएगी।

खण्ड–११ संविदाकार सम्पूर्ण निर्माण कार्य और उसका प्रत्येक भाग ठोस और कार्य कुशल ढंग से निष्पादित करेगा और सामग्री के सम्बन्ध में तथा अन्यथा प्रत्येक दृष्टि से सर्वथा विनिर्देशों के अनुसार इन दोनों ही बातों का ध्यान रहेगा। संदिवकार यथार्थ में, पूर्ण रूप से और निष्ठापूर्वक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए और उसके कार्यालय में रखे हुए डिजाईनों, ड्राईंगों और लिखित अनुदेशों के अनुरूप ही कार्य करेगा जिन्हे संविदाकार ऐसे कार्यालय अथवा निर्माण कार्य स्थल पर कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के प्रयोजन से देख सकता है और संविदाकार, अगर उसे ऐसी आवश्यकता हो तो, अपने खर्च पर विनिर्देशों और पूर्वोक्त प्रकार की डिजाईनों, ड्राईंगों और अनुदेशों की प्रतिलिपियाँ तैयार कर सकता है अथवा करा सकता है।

खण्ड–१२ कम्पनी को यह अधिकार होगा कि मूल विनिर्देशों, ड्राईगों, डिजाईनों और अनुदेशों में काम चालू रहने के दौरान ऐसे कोई भी फेर बदल कर सकती है, उनका त्याग कर सकती है, उनमें कोई परिवर्तन कर सकती अथवा उसमें प्रतिस्थापन कर सकती है। जो कि वह जरूरी और उचित समझती है और संविदाकार ऐसे किन्हीं अनुर्देशों के अनुसार, जो कि कम्पनी के सिविल इंजीनियर के हस्ताक्षर से उसे लिखित रूप में दिए जाए, निर्माण कार्य को करने के लिए बाध्य होगा और ऐसे फेरबदलों, त्याग परिवहनों अथवा प्रतिस्थपनों से संविदा अवैद्य नहीं होगी, और ऐसा कोई बदला हुआ, अतिरिक्त अथवा प्रतिस्थापित कार्य, जिसे उन पर बताए गए तरीके से निर्माण कार्य के भाग के रूप में करने के लिए संविदाकार को निर्देश दिया जाए, संविदाकार द्वारा प्रत्येक दृष्टि से उन्हीं शर्तो पर किया जाएगा, जिन शर्तो पर कि वह मुख्य कार्य को करने के लिए सहमत हुआ था और वह उन्हीं दरों पर किया जाएगा जो कि मुख्य कार्य के लिए निविदा में विनिर्दिष्ट की गई है। काम को पूरा करने का समय उसी अनुपात में बढा दिया जाएगा जो कि मूल संविदा कार्यकी तुलना में बदलजे हुए, अतिरिक्त अथवा प्रतिस्थापित काम का आता है और ऐसे अनुपात के बारे में कम्पनी के सिविल इंजीनियर का प्रमाण पत्र निश्चायक होगा। और अगर बदला हुआ, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित निर्माण कार्य में किसी ऐसी श्रेणी का निर्माण कार्य शामिल है जिसके लिए इस संविदा में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं है तो इस श्रेणी का निर्माण कार्य कम्पनी की दरों को उस अनुसूची में दर्ज दरों पर किया जाएगा जो कि संविदा की स्वीकृति के समय प्रवृत्त थी और अगर बदला हुआ अतिरिक्त अथवा प्रतिस्थापित निर्माण कार्य दरों की उक्त अनुसूची में दर्ज नहीं है तो संविदाकार काम करने का आदेश उसे प्राप्त होने की तारीख के सात दिनों के अन्दर कम्पनी को उस दर की सूचना देगा जो वह इस प्रकार की श्रेणी के काम के लिए वसूल करने का इरादा रखता है और अगर कम्पनी इस दर पर सहमत नहीं होती है तो वह इस प्रकार की श्रेणी के निर्माण कार्य को करने के अपने आदेश को लिखित नोटिस के द्वारा रद्‌द करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसे उस तरीके से करने की व्यवस्था करेगा जो वह उचित समझता है परन्तु सदैव यह भी कि अगर संविदाकार इससे पूर्व अन्तिम रूप में उल्लिखित दरें निश्चित किए जाने से पहले ही काम शुरू कर देगा या उसके सम्बन्ध में कोई खर्चा करेगा, तब और ऐसे मामले में किए गए काम के विषय में ही अथवा पूर्वोक्त रूप में दर निश्चित किए जाने की तारीख से पहले उसके द्वारा उठाए गए खर्च के विषय में ऐसी दरों के अनुसार ही अदायगी प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि कम्पनी द्वारा तय की जाएगी। किसी विवाद की स्थिति में, कम्पनी के इकाई प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।

खण्ड–१३ अगर काम शुरू हो जाने के बाद किसी समय कम्पनी किसी भी कारण से उस पूरे काम को नहीं कराना चाहेगी, जैसा कि निविदा से किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हैं, तो कम्पनी संविदाकार को इस तथ्य के बारे में लिखित में नोटिस देगी, जो उस लाभ अथवा फायदे के कारण किसी अदायगी अथवा प्रतिकार का, चाहे वह कुछ भी क्यों न हो, दावेदार नहीं होगा, जो कि उस पूरे काम के निष्पादन से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो वह पूरा काम न किए जाने की वजह से काम की पूरी रकम से प्राप्त नहीं कर पाया है और न ही वह मूल विनिर्देशों, ड्राईंगों, डिजाईनों और अनुदेशों में किए गए ऐसे किन्हीं परिवर्तनों की वजह से, जिनमें मूल रूप में अवेक्षित निर्माण कार्य में की गई कटौती अन्तर्निहित है, किस प्रविकर का दावेदार होगा।

खण्ड–१४ अगर कम्पनी का सिविल इंजीनियर अथवा निर्माण कार्य का प्रभारी उसका अधीनस्थ यह देखेगा कि कोई कार्य कमजोर गलत अथवा अकुशल कार्य कुशलता से अथवा किसी घटिया किस्म की सामग्री से निष्पादित किया गया है अथवा कार्य के निष्पादन के लिए उसने जिस सामग्री अथवा जिन वस्तुओं की व्यवस्था की है, वे खराब हैं या संविदा में बताई गई कोटि से घटिया कोटि के हैं, अथवा अन्यथा संविदा के अनुसार नहीं हैं, तो संविदाकार कम्पनी के यूनिट प्रबन्धक से लिखित में मांग किए जाने पर उस काम, सामग्री अथवा वस्तुओं का विनिर्देश करते हुए जिनकी शिकायत की गई हैं, उन वस्तुओं के अनजाने में ही पास, प्रमाणित कर दिये जाने और उनकी अदायगी कर दिए जाने पर भी उन्हें तत्काल सुधारेगा अथवा हटाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए पूरे काम अथवा उसके भाग का, जैसी मामले में जरूरत हो या जैसी स्थिति हो, फिर से निर्माण करेगा, इस प्रकार विनिर्दिष्ट सामग्रियों अथवा वस्तुओं को हटायगा और अपने उचित खर्च लागत पर उचित और उपयुक्त सामग्री अथवा वस्तुएं लगाएगा और कम्पनी द्वारा अपनी पूर्वोक्त मांग में विशेष रूप से उल्लिखित अवधि के अन्दर उसके द्वारा ऐसा न किए जाने की स्थिति में संविदाकार जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक प्रत्येक दिन के लिए जो इस दिन से ज्यादा नहीं होंगे, अनुमान की रकम के एक प्रतिशत की दर से प्रतिकर अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसा करने में असफल रहने के किसी मामले में कम्पनी सभी दृष्टियों से संविदाकार की जोखिम और खर्चो पर से उस कार्य को सुधरवा सकती है अथवा हटवा सकती है और पुनः निष्पादित करा सकती है अथवा हटा सकती है और जिस सामग्री व अपनी जिन वस्तुओं की शिकायत की गई हैं उन्हे हटवा सकती है और उनके स्थाान पर दूसरी सामग्री अथवा वस्तुएं लगवा सकती है।

खण्ड–१५ संविदा के अनुसरण में निष्पादन के अधीन अथवा निष्पादन की अवधि के दौरान अथवा निष्पादित सभी कार्य हर समय कम्पनी के सिविल इंजीनियर और उसके अधीनस्थ अधिकारियों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिए सुलभ रहेंगे और संविदाकार सामान्य कार्यालय समय के दौरान हर समय तथा ऐसे सभी अन्य समयों पर, जिनके बारे में कम्पनी के सिविल इंजीनियर अथवा उसके अधीनस्थ द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए नोटिस दे दिया गया हैं, आदेश और अनुदेश प्राप्त करने के लिए या तो स्वंय उपस्थित रहेगा या लिखित में विधिवत प्रत्यात्रित एक जिम्मेदार एजेन्ट उक्त प्रयोजन के लिए वहॉ उपस्थित रहेगा संविदाकार के एजेन्ट को दिए गए आदेश के बारे में यह समझा जायेगा कि वे उतनी ही शक्ति रखते हैं जितनी कि वे स्वंय संविदाकार को दिए जाने पर रखते है।

खण्ड–१६ संविदाकार भराई के लिए खोदी गई जगह को भरने अथवा किसी निर्माण कार्य को उसका माप लिए जाने की स्थिति से बाहर करने से पहले कम्पनी को नोटिस देगा जो पॉच दिन से कम नहीं होना चाहिए ताकि और उसे इस प्रकार भरे जाने अथवा नाप लिये जाने की स्थिति से बाहर किए जाने से पहले उसकी नपाई की जा सके, और उसके सही सही आयाम लिये जा सके और वह कम्पनी के सिविल इंजीनियर अथवा निर्माण कार्य के प्रभारी उसके अनधीनस्थ अधिकारों की लिखित सहमति के बगैर किसी भी निर्माण कार्य की भराई नहीं करेगा अथवा उसे उसका नाप लिए जाने की स्थिति से बाहर नहीं करेगा और अगर किसी निर्माण कार्य को ऐसा नोटिस दिए बगैर अथवा सहमति प्राप्त किए बगैर भरा जाएगा अथवा नाप लिये जाने की स्थिति से बाहर किया जायेगा तो उसको संविदाकार के खर्च पर खुदाई की जाएगी अथवा उसमें त्रुटि पाए जाने पर ऐसे निर्माण कार्य अथवा जिस सामग्री से वह निष्पादित किया गया हैं, उस सामग्री के लिए उसे कोई रकम अथवा भत्ता अदा नहीं किया जाएगा।

खण्ड–१७ अगर संविदाकार अथवा उसके मजदूर अथवा नौकर ऐसी किसी इमारत के किसी भाग को, जिसमें वे काम कर रहे हों, अथवा ऐसी किसी इमारत, सडक, सडक के मोडों, अहाते घेरे पानी के पाईपों, केबुलों, नालियों, बिजली और टेलीफोन की चौकियों अथवा तारों, पेडो, घास अथवा घास के मैदान अथवा परिसर से सटी हुई खेती की ऐसी जमीन को, जिस पर निर्माण–कार्य अथवा उसका कोई भारा निष्पादित किया जा रहा है, तोडेगें, विरूपित करेगें, नुकसान पहुँचायेगें या नष्ट करेगें अथवा निर्माण कार्य को, उसके चलते हुए किसी भी कारण से अगर क्षति पहुँचेगी अथवा कम्पनी के सिविल इंजीनियर द्वारा काम पूरा होने का प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद तीन महीनों के अन्दर (किसी सडक के निर्माण कार्य के मामले में छः महीने) कोई कमी नजर आएगी, तो संविदाकार उसे अपने खर्च पर ठीक कराएगा अथवा इसमें चूक होने पर, कम्पनी उसे दूसरे कामगारों से ठीक करा लेगी और उस खर्च को ऐसी किसी राशि में से बॉट लेगी जो उस समय या उसके बाद किसी भी समय संविदाकार को देय होगी अथवा उसे उसकी जमानत जमा अथवा उसकी बिक्री से प्राप्त आय में से अथवा उसका एक पर्याप्त हिस्सा काट लेगी। संविदाकार की जमानत की रकम निर्माण कार्य पूरा हो जाने का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद तीन महीने (किसी सडक के निर्माण कार्य के मामलें में छः महीने) से पहले वापस नहीं लौटाई जाएगी। परन्तु यह भी कि किसी सडक के निर्माण कार्य के मामले में, अगर कम्पनी के सिविल इंजीनियर की राय में इस संविदा के अन्तर्गत संविदाकार की समस्त देयताओं को पूरा करने के लिए जमानत की आधी रकम पर्याप्त है जो जमानत की आधी रकम तीन महीने के बाद लौटाई जाने योग्य होगी और बाकी आधी रकम काम पूरा होने का उक्त प्रमाण पत्र जारी किए जाने के छः महीने लौटाई जाएगी।

खण्ड–१८ संविदाकार अपने खर्च पर ऐसी सामग्रियॉं (ऐसी विशेष सामग्री को छोड कर, अगर कोई हो तो, जो संविदा के अनुसार कम्पनी के भण्डार से सप्लाई की जाएगी) संयंत्र, औजार, उपकरण, साधन, सीढियॉं, रस्सी, साज–सामान, ढांचा और अस्थायी निर्माण कार्य जुटाएगा जो निर्माण–कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक अथवा उचित हो चाहे वह निर्माण–कार्य मूल रूप में वही हो, बदला हुआ हो या प्रतिस्थापित किया हुआ हो और चाहे वह विनिर्देशों अथवा संविदा के अंशीभूत अन्य दस्तावेजों में शामिल किया गया हो अथवा नहीं अथवा उसका इन शर्तो से उल्लेख किया गया हो या नहीं अथवा जो अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के लिए जरूरी हो अथवा जिसे वह प्राप्त करने का हकदार हो तथा उन्हें निर्माण–कार्य, से और निर्माण कार्य तक लाने ले जाने की व्यवस्था भी करेगा। संविदाकार बिना खर्च के ऐसे साधनों और और सामग्री सहित अपेक्षित संख्या में आदमियों की पूर्ति भी करेगा जो निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने और निर्माण कार्य अथवा सामग्री की किसी भी समय और समय–समय पर गणना करने, वजन लेने और नाप लेने अथवा जॉच करने में सहायता देने के प्रयोजन से अपेक्षित हों।

ऐसा कर पाने में उसके असफल रहने पर कम्पनी द्वारा संविदाकार के खर्च पर इनकी व्यवस्था की जा सकती है और यह खर्च संविदा के अन्तर्गत संविदाकार को देय किसी रकम में से अथवा उसकी जमानत की रकम में से अथवा उसकी बिक्री से प्राप्त आय में से अथवा उसके एक बडे भाग से काटा जा सकता है। संविदाकार लोगों को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए सभी आवश्यक घेरों और बत्तियों की व्यवस्था भी करेगा और वह उपर्युक्त एहतियातों की उपेक्षा के कारण चोट–ग्रस्त हुए किसी व्यक्ति द्वारा चलाए गए प्रत्येक मुकद्दमें की सही कार्यवाही अथवा अन्य कानूनी कार्यवाहियों का खर्च वहन करने और ऐसी किसी क्षति और खर्च को अदा करने के लिए बाध्य होगा जो ऐसे किसी मुकद्दमें, कार्यवाही अथवा कार्यवाहियों में ऐसे किसी व्यक्ति के पक्ष में अधिनिर्णित किए जा सकते हैं अथवा जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी दावे में सुलहनामा करने के लिए संविदाकार की सहमति से अदा किए जा सकते है।

खण्ड–18 (क) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1623 की धारा 12, उपधारा (1) के उपबन्धों के आधार पर कम्पनी संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन में काम पर रखे गए एक कर्मकार की प्रतिकार अदा करने के लिए बाध्य हैं, कम्पनी इस प्रकार अदा किए गए प्रतिकर की रकम संविदाकार से वसूल करेगी और कम्पनी, उक्त अधिनियम की धारा 12, उपधारा (2) के अन्तर्गत

कम्पनी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर ऐसी रकम अथवा उसका कोई भाग जमानत की रकम में से अथवा कम्पनी द्वारा संविदाकार को देय किसी राशि में से वह इस संविदा के अन्तर्गत देय हो अथवा अन्यथा काटकार वसूल करने के लिए स्वतन्त्र होगी। कम्पनी उक्त अधिनियम की धारा 12, उपधारा (10) के अन्तर्गत इसके विरूद्ध किये गए किसी दावे का, संविदाकार द्वारा लिखित प्रार्थना किए जाने पर और उसके द्वारा उन सभी खर्चो की बाबत पूरी सुरक्षा दिए जाने पर जिन के लिए कम्पनी ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणाम स्वरूप जिम्मेदार हो सकती है को छोडकर प्रतिवाद करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

खण्ड–१६ (क) बारह वर्ष से कम आयु का कोई भी मजदूर निर्माण कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

खण्ड–१६ ख–(क) संविदाकार निर्माण कार्य पर उसके द्वारा कार्य पर रखे गये मजदूरों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी अदा नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :–

''**उचित मजदूरी**'' का अर्थ उस मजदूरी से है, जो चाहे समयानुसार कार्य के लिए अथवा उजरती काम में लिए, निर्माण कार्य के लिए निविदायें आमन्त्रित करते समय अधिसूचित की जाती है और जहॉ ऐसे मजदूरियॉ इस प्रकार अधिसूचित नहीं की जाती है और वहां उस जिले के लिए, जिसमें निर्माण कार्य किया जाता है, ऐसी मजदूरी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ख) संविदाकार से किसी भी संविदा के उपबन्ध विरोधी होने पर भी, निर्माण कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप में काम पर रखे गए मजदूरों को, जिसमें उक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उसके उप–संविदाकार द्वारा काम पर रखे गए मजदूर भी शामिल है, उसी प्रकार उचित मजदूरी अदा कराई जाएगी, जिस प्रकार कि वे उसके द्वारा तत्काल मजदूर के रूप में काम पर रखे जाते है।

(ग) निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में काम पर रखे गए सभी मजदूरों के विषय में, इस प्रकार के संविदाकार वाले हिस्से के कार्य–निष्पादन के लिए, संविदाकार मजदूरी की अदायगी मजदूरी की अवधि मजदूरी से की जाने वाली कटौतियों, अदा न की गई मजदूरी की वसूली ओर अनाधिकृत रूप से की गई कटौतियों, मजदूरी रजिस्टर, मजदूरी कार्डो के रख रखाव मजदूरी के मानों और नौकरी अन्य शर्तो के प्रकाशन, आवधिक विवरणियों के निरीक्षण और उनकी प्रस्तुति तथा इसी स्वरूप के अन्य मामलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए गए विनियमों का पालन करेगा या उससे इनका पालन कराया जाएगा।

(घ) कम्पनी को, संविदाकार को देय रकमों में ऐसी किसी राशि की कटौती करने का अधिकार होगा, जिसकी कटौती करना एक कामगार अथवा कामगारों को कामगारों के लाभ के लिए निविदा में रखी गई शर्तो को पूरा न किये जाने, मजदूरी की अदायगी न किए जाने और उसकी या उनकी मजदूरी में से ऐसी कटौतियां किए जाने, जो संविदा की उनकी शर्तो के द्वारा उचित नहीं और विनियमों का पालन न किये जाने की वजह से उठानी पडी हानि को पूरा करने के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यक समझा गया हो।

(ड.) कम्पनी की तुलना में, संविदाकार, अपने उप–ठेकेदार से क्षतिपूर्ति कराने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर, पूर्वोक्त विनियमों के अन्तर्गत और उनके पालन के लिए की जाने वाली सभी अदायगियों के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगा।

(च) पूर्वोक्त विनियमों को इस संविदा के एक भाग के रूप में माना जाएगा और उसके किसी भी उल्लंघन को इस संविदा का उल्लंघन किया गया माना जाएगा।

खण्ड-१६ (ग) संविदाकार, कम्पनी के सिविल इंजीनियर को तुष्टि के लिए सीमेन्ट मिलाने का काम करने वाले किसी भी मजदूर को (संविदाकार ने इन संविदा के अन्तर्गत यह काम निष्पादित करने का वचन दिया है) अपने खर्च से जूते प्रदान करेगा अथवा उसे जूते दिए जाने की व्यवस्था करेगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाएगा तो कम्पनी उनकी व्यवस्था करने और उसका खर्च संविदाकार से वसूल करने के लिए हकदार होगी।

खण्ड-१६ (घ) संविदाकार हर महीने की ४ और १६ तारीख को क्रमशः पिछले महीने के बाद के आधे भाग और चालू महीने के पहले आधे भाग के विषय में कम्पनी को एक सत्य विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें (१) निर्माण कार्य पर उसके द्वारा काम पर रखे गए मजदूरों की संख्या (२) उनके काम के घण्टे (३) उन्हें अदा की गई मजदूरी (४) उस पखवाडे के दौरान हुई दुर्घटनाएं, जिसमें वे परिस्थितियां भी दिखाई जाए जिनके अन्तर्गत वे हुई और उनहें पहुँची क्षति तथा उन्हें लगी चोट की भी मात्रा भी बताई जाए और (५) ऐसी महिला कामगारों की संख्या जिन्हें खण्ड-१६ (च) के अनुसार प्रसूति लाभ की सुविधा दी गई और उन्हें अदा की गई रकम, दिखाए गए हों।

खण्ड-१६ (ड.) इस करार के संविदाकार के हिस्से के निष्पादन के लिए निर्माण कार्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में काम पर रखे गए सभी मजदूरों के विषय में, संविदाकार कामगारों की स्वास्थ्य रक्षा और सफाई व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर तैयार किए गए सभी नियमों का पालन करेगा अथवा उससे इनका पालना कराया जाएगा।

खण्ड-१६ (च) संविदाकार द्वारा नियोजित महिला कामगारों के लिए प्रसूति सुविधा छुट्टी के दौरान छुट्टी और वेतन नीचे बताए अनुसार विनियमित किए जाएगें :-

१ छुट्टी (१) प्रसव की स्थिति में प्रसूति छुट्टी अधिक से अधिक ८ सप्ताह की होगी। इसमें से प्रसव के दिन को शामिल करके उससे पहले ४ सप्ताह और उस दिन के बाद अगले ४ सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी।

(२) गर्भपात की स्थिति में गर्भपात होने की तारीख से ३ सप्ताह तक की।

२ वेतन (१) प्रसूति के मामले में प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन उक्त महिला औसत दैनिक अर्जन की दर से दिया जाएगा और इस औसत की गणना जिस तारीख को यह सूचना दी गई हो कि उक्त महिला को प्रसव की सम्भावना है उसके ठीक तीन महीने पहले तक की अवधि के दौरान जबकि पूर्ण कालिक सेवा कार्य किया गया था अर्जित की गई कुल मजदूरी के आधार पर की जाएगी या फिर बारह आने प्रतिदिन की दर से उनमें से जो भी अधिक हो छुट्टी वेतन दिया जाएगा।

(२) गर्भपात के मामले में इस प्रकार के गर्भपात की तारीख से ठीक पहले के तीन महीने की अवधि के दौरान किये गए पूर्ण कालिक सेवा कार्य के दिनों अर्जित कुल मजदूरी के आधार पर परिगणित औसर दैनिक अर्जन की दर से छुट्टी वेतन दिया जाएगा।

३. **<u>प्रसूति छुट्टी प्रदान करने की शर्ते</u>** :-

किसी भी महिला को प्रसूति छुट्टी का लाभ तब तक देय नहीं होगा जब तक कि वह छुट्टी पर जाने की तारीख से ठीक पहले, कुल मिलाकर कम से कम ६ महीने से सेवा में न हो।

खण्ड-२० कम्पनी और फैक्ट्री निरीक्षक की लिखित मंजूरी के बगैर रविवार को कोई काम नहीं किया जायेगा।

खण्ड-२१ जब तक कम्पनी का लिखित अनुमोदन न प्राप्त हो तब तक कोई भी संविदा न तो समनुदेशित की जाएगी और न उप पट्टे पर दी जाएगी। और यदि संविदाकार इस संविदा को समनुदेशित करेगा या उप पट्टे पर दे या ऐसा करने की कोशिश करे, या दिवालिया हो जाए या दिवालिया होने से सम्बन्धित कार्यवाही आरम्भ कर दे या अपने ऋणदाताओं के साथ प्रशमन करे या ऐसा करने का प्रयत्न करे, या संविदाकार या उसके सेवकों या एजेन्टों में से किसी ने कम्पनी में नियुक्त और किसी तरह से उसके कार्यालय या नियोजन से सम्बन्ध किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई घूस, उपदान, उपहार, ऋण अनुलाभ, पारितोषिक या लाभ, आर्थिक अथवा अन्य किस्म का दिया हो, देने का वायदा किया हो या प्रस्ताव किया गया हो या यदि ऐसा कोई अधिकारी या व्यक्ति किसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से संविदा में दिलचस्पी लेने लगे तो उसके बाद कम्पनी लिखित रूप में नोटिस देकर संविदा विखंडित कर देगी और ठेकेदार की जमानत जमा उसके बाद से जब्त समझी जाएगी और पूरी तौर से कम्पनी के अधीन हो जाएगी और वैसे ही परिणाम निकलेगें। गोया इसके खण्ड-३ के अन्तर्गत संविदा का विखंडन कर दिया गया हो और इसके अलावा संविदाकार किसी तरह की वसूली करने का हकदार नहीं रहेगा और न ही उसे उसके द्वारा संविदा के अन्तर्गत वस्तुतः निष्पादित किसी कार्य के लिए अदायगी ही की जाएगी।

खण्ड-२२ इनमें से किसी स्थिति के अन्तर्गत मुआवजे के बतौर अदायगी योग्य सभी राशियाँ बगैर इस बात को देखे कि वस्तुतः कितनी हानि या क्षति उठाई गई है और कोई क्षति उठानी पडी हो अथवा नहीं, कम्पनी को देय युक्तिसंगत मुआवजा मानी जाएगी।

खण्ड-२३ भागीदारों द्वारा दी गई निविदा के मामले में फर्म के संगठन में होने वाला कोई भी परिवर्तन संविदाकार द्वारा कम्पनी के सूचनार्थ तुरन्त अधिसूचित किया जाना चाहिए।

खण्ड-२४ संविदा के अन्तर्गत निष्पादित होने वाले सभी निर्माण कार्य सभी तरह से कम्पनी के सिविल इंजीनियर के मार्ग निर्देश और अनुमोदन के अधीन किये जाएगे। कम्पनी के सिविल इंजीनियर यह निर्देश देने के हकदार होंगे कि निर्माण कार्य किस प्वांइट या प्वांइटों पर और किस विधि से शुरू किये जाए और समय-समय पर आगे बढाये जाए।

खण्ड-२५ उन स्थितियों को छोडकर जिनमें संविदा में अन्यथा व्यवस्था की गई है वे सभी और विवाद जिनका सम्बन्ध आगे उल्लिखित विशिष्टियों अभिकल्यों रेखांकनों और हिदायतों के अर्थ से हो और जो कर्मकौशल के स्तर या निर्माण कार्य में इस्तेमाल की गई सामग्रियों या किसी अन्य प्रश्न, दावा अधिकार, पदार्थ विषय या किसी भी किस्म की चीज को सम्बन्ध रखते हों, जो कि संविदा, अभिकल्पों रेखांकतों, विशिष्टियों, प्राक्कलनों, हिदायतों आदि आदेशो या इन (शर्तो) से किसी प्रकार से उत्पन्न हुए हों, या उनसे सम्बन्ध रखते हो या निर्माण कार्य से या निष्पादन या उनके निष्पादन में हुई असफलता से अन्यथा सम्बन्ध रखते हों, चाहे वे निर्माण-कार्य की प्रगति के दौरान उठे या पूरा हो जाने के बाद या उन्हें अधूरा छोड देने के कारण, कम्पनी के प्रबन्ध-निदेशक के पास माध्यस्थम के लिए भेजे जायेगें। इस तरह से नियुक्त मध्यस्थ का अधिनियम अन्तिम, निर्णायक और इस संविदा से सम्बन्धित सभी पार्टियों के लिए बन्धनकारी होगा।

खण्ड-२६ जब उस प्राक्कलन में जिस पर निविदा दी जाती है, निर्माण कार्य के अंशो के सम्बन्ध में एक मुश्त राशियाँ शामिल हों तो संविदकार निहित निर्माण कार्य को मदों या प्रश्नाधीन निर्माण कार्य के अंश के सम्बन्ध में उन्हीं दरों से भुगतान पाने का हकदार होगा जो कि इस संविदा के अन्तर्गत ऐसी मदों के लिए देय हैं या यदि प्रश्नाधीन कार्य का अंश कम्पनी के सिविल इंजीनियर की राय में नापजोख कर सकने योग्य नहीं है तो कम्पनी का सिविल इंजीनियर अपने विवके से प्राक्कलन में दर्ज एक मुश्त रकम की अदायगी की सिफारिश कर सकता है। और संविदाकार के मुकाबले के सिविल इंजीनियम द्वारा लिखित रूप में दिया गया प्रमाण पत्र इस खण्ड की व्यस्थाओं के अन्तर्गत संविदाकार को देय किसी भी राशि अथवा राशियों के सम्बन्ध में अन्तिम और निर्णायक माना जाएगा।

खण्ड–२७ इन शर्तो में जहॉं पर भी निर्माण कार्य शब्द एक वचन या बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है वहां जब तक कि इस तरह के निर्माण के विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, तब तक इन शब्दों के अभिप्राय और अर्थ संविदाकृत के द्वारा या उसके आधार पर ऐसे निर्माण कार्य से होगा जो कि निष्पादित होने हों, भले ही, वे अस्थायी या स्थायी हों, चाहे मौलिक, परिवर्तित प्रतिस्थापित या अतिरिक्त किस्म के हों।

अर्थनिरूपण खण्ड :–

कम्पनी से अभिप्राय सॉंभर साल्ट्स लिमिटेड से है एक वचन का अथ देने वाले शब्द में सिर्फ बहुवचन शामिल है और इसके विपरीत बहुवचन का अर्थ देने वाले शब्द सिर्फ एक वचन शामिल है।

अतिरिक्त शर्ते :–

१ **ढाने के द्वारा प्राप्त सामग्रियॉं** :– अपने कार्य के दौरान संविदाकारों को यह समझ लेना चाहिए कि ढाने से प्राप्त हुई सभी सामग्रियॉं (उदाहरण के लिए पत्थर और अन्य सामग्रियॉं) कम्पनी की सम्पत्ति मानी जाएगी और उनका निपटारा इस तरह से किया जाएगा जिससे कम्पनी को अधिक से अधिक लाभ हों ।

२ संविदाकार की यह जिम्मेदारी है कि यह कार्य स्थल को कम्पनी के सिविल इंजीनियर को तसल्लीबख्श ढंग से साफ सुथरा और कूडा करकट से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध होता हैं। सभी फालतू सामग्री कूडा–करकट आदि कम्पनी द्वारा नियत स्थानों पर पहुँचा दिये जाऐगें और इस कार्य के लिए अतिरिक्त अदायगी नहीं की जाएगी।

३ **जनता की असुविधा** :– संविदाकार किसी ऐसे स्थल पर सामग्री जमा नहीं करेगा जिससे जनता को असुविधा हो। कम्पनी चाहे तो संविदाकार से ऐसी किसी सामग्री जो कि उसके विचार से जनता के लिए खतरनाक या असुविधाजनक हो सकती है हटाने के लिए कह सकती है या कम्पनी उक्त सामग्री को संविदाकार के खर्चे से हटा सकती है।

४ **श्रमिकों के लिए झोपडे बनाना** :– संविदाकार अपने श्रमिकों के लिए अपनी निजी लागत से अनुमोदित स्थल पर झोपडे बनवाएगा/बनवायेगें और श्रमिक शिविर में मूल सफाई तथा स्वच्छता के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा/करेगें जो कि चिकित्सा प्राधिकारियों के लिए तसल्लीबख्श हो। वह वे जहॉं कहीं भी उपलब्ध हो वहॉं से मौजूदा मुख्य पाईप लाईनों से अपने श्रमिक शिविरों को पानी की पूर्ति करने के लिए अपने खर्चे से पाईप लाईन डलवाने की व्यवस्था भी करेगा/करेगें और वह/वे इसके सम्बन्धित तथा प्रासंगिक शुल्क प्रभार और व्यय वहन करेगा/करेगें।

५ **पानी की पूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था की शर्ते** :– यदि निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक पानी की पूर्ति कम्पनी द्वारा की जाती है तो उस पर वही शर्ते दरें लागू होगी जो कम्पनी नियमावली में दी गई है। पानी के पाईप का कनेक्शन पाईप लाईन डलवाने के लिए लेने के लिए और मौजूदा मुख्य पाईप लाईनों से पानी की पूर्ति का स्त्रोत पाने के लिए संविदाकार अपनी और से निजी तौर पर व्यवस्था करेगा।

६ संविदाकार निर्माण–कार्य के लिए आवश्यक पानी के लिए अपनी ओर से निजी व्यवस्था करेगा और इसके लिए उसे अलग से कोई अदायगी नहीं की जाएगी।

७ संविदाकार को निर्माण कार्य में प्रयुक्त समस्त पानी में १ प्रतिशत केसोल मिलाना पडेगा।

८ **सामग्रियॉं प्राप्त करने में विभाग द्वारा होने वाला विलम्ब** :– चूंकि कुछ सामग्रियॉं खुले बाजार से प्राप्त करने में कठिनाईयॉं हैं, इसलिए कम्पनी ने यह जिम्मा अपने ऊपर लिया है कि वह निविदा के फार्म के पृष्ठ ११ पर निर्दिष्ट सामग्रियों की पूर्ति उसमें उल्लिखित दर से करेगी। कम्पनी द्वारा

सामग्री प्राप्त करने में देर लग सकती है और इसलिए संविदाकार के लिए आवश्यक है कि सामग्रियों की सप्लाई के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन की स्थिति से अवगत रहने के लिए कम्पनी के सिविल इंजीनियर से सम्पर्क रखे और काम की प्रगति को इस तरह से समायोजित करे ताकि उसके श्रमिक बेकार न रहें और न सामग्रियों की प्राप्ति में होने वाली देर की वजह से या उसके फलस्वरूप कोई दावा खडा हो सके। यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि सामग्रियों की सप्लाई से होने वाली देर के आधार पर किये गये किसी भी दावे को कम्पनी स्वीकार नहीं करेगी।

९ **फालतू सामग्रियों की वापसी** :- इस संविदा के किसी या सभी खण्डों में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद जहॉं कहीं भी संविदा के निष्पादन के लिए, सरकार द्वारा जारी किये आदेशों परमिटों या लाईसेन्सों के अन्तर्गत सरकारी स्टाक से निर्गम के जरिये या खरीद के जरिये जो भी सामग्री कम्पनी की सहायता से प्राप्त की जाती है उसे संविदाकार मितव्ययता पूर्वक और केवल संविदा के उद्देशों के लिए इस्तेमाल करेगा और कम्पनी की अनुमति लिए बगैर उसका निपटान नहीं करेगा और यदि कम्पनी का सिविल इंजीनियर चाहे तो परस्पर निश्चित की गई कीमत अदा करने या उसके नाम जमा करने पर वह उन सभी फालतू और अनुपयोगी सामग्रियों को वापस लौटाएगा जो कि संविदा पूरी हो जाने या किसी भी कारण से संविदा समाप्त कर दिये जाने पर, उसके पास बची हों। फिर भी संविदाकार को जो कीमत स्वीकृत की जाएगी वह उस रकम से अधिक नहीं होगी जो उससे वसूल की गई हो और उसमें संचयन प्रभार यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा। उपर्युक्त शर्त भंग करने पर संविदाकार न केवल लाईसेन्स या परमिट की शर्तो को तोडने और विश्वास के आपराधिक भंग के कारण खुली कार्यवाही को न्यौता देगा बल्कि वह सरकार के प्रति उन सभी रकमों, लाभों या फायदों का देनदार होगा जो उसे उल्लघंन के कारण प्राप्त हुए हों या सामान्य कम में प्राप्त होने वाले हों।

१० **पैट्रोल के कूपन और प्राथमिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाला विलम्ब** :- सामग्रियों की ढुलाई के लिए पैट्रोल और रेलगाडी की वैगनें प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई के कारण कम्पनी इस बात पर सहमत है कि वह इस निविदा में निर्दिष्ट शर्तो के अधीन निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्रियों की ढुलाई के लिए अनुमोदित स्त्रोतों से पैट्रोल के कूपन और प्राथमिकता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी। कम्पनी द्वारा ऊपर उल्लिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब हो सकता है और इसलिए संविदाकार उक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन की स्थिति से अवगत रहने के लिए सम्पर्क बनाये रखेगा और काम की प्रगति को इस तरह से समायोजित करेगा ताकि उसके श्रमिक या लारियां निष्क्रिय न रहें और ऊपर उल्लिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने में होने वाले विलम्ब से उत्पन्न होने वाला कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह बात स्पष्ट रूप से समझ ली जानी चाहिए कि पैट्रोल के कूपन जारी करने और रेलगाडी की वैगन सप्लाई करने में होने वाले विलम्ब पर आधारित किसी भी तरह का दावा कम्पनी के विरूद्ध दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

११ **निर्माण-कार्य पूरा करने के लिए कालावधि में वृद्धि** :- यदि संविदाकार संविदा के खण्ड ५ के अन्तर्गत निर्माण-कार्य पूरा करने के लिए समय बढाने की इच्छा प्रकट करेगा तो समय में इस तरह की वृद्धि सम्बन्धी कोई भी अर्जी मन्जूर नहीं की जाएगी यदि उक्त अर्जी इतने पर्याप्त समय पहले न प्राप्त हो कि जिससे कम्पनी को उस पर विचार करने का समय मिले और इस सम्बन्ध में की गई लापरवाही के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले परिणामों के लिए संविदाकार ही जिम्मेदार होगा।

१२ (क) **सडक कूटने के इंजन सम्बन्धी शर्ते-सडक कूटने के इंजनों का किराया प्राभार** :-

(क) सडक कूटने के इंजनों का किराया प्राभार रूपये प्रतिदिन प्रति इंजन की दर से वसूल किया जाएगा।

(ख) सडक कूटने के इंजन को सौंपने और वापस लेने का काम इंजन के रोड पर ही किया जाएगा और उस तारीख से लेकर जिस तारीख को इंजन सौंपा गया था, उसकी वापसी की तारीख तक का प्राभार निर्धारित दर से लिया जाएगा भले ही इंजन किसी ऐसी बडी खराबी को छोडकर जिसमें कि उसका कारखाने में वापस ले जाना जरूरी हो जाए, किसी कारण वंश काम न भी करता रहा हो।

(ग) **परिचालन व्यय में, बिना और प्राभार लिए, नीचे लिखी सेवाए शामिल हैं** :- चालक फायरमैन और एक क्लीनर की सेवाएं तथा स्नेह तेल, सफाई कार्य का सामान और जलाने के लिए सिर्फ २½ हैर्डवेट भाप बनाने में काम आने वाला कोयला इनमें से आखरी मद सिर्फ उस समय दी जाएगी जब इंजन जारी किया जाता है और भाप बनाने के काम में आगे किया जाता है और भाप बनाने के काम में आने वाले कोयले, ईधन की जलाऊ लकडी, माचिसों मिट्टी के तेल आदि और वाष्प इंजनों के कार्यचलन तथा धुलाई के लिए काम में आने वाले पानी और रात में इंजनों की रक्षा के लिए रखे गये चौकीदार के वेतन पर आने वाले लागत के बतौर आने वाला सभी प्राभार संविदाकार द्वारा ही अदा किया जाएगा।

(घ) सडक कूटने के इंजनों का किराया प्राभार के आधार पर की जाने वाली वसूली दिनों की न्यूनतम संख्या के लिए की जाएगी और दिनों की यह न्यूनतम संख्या इस पूर्वानुमान पर आधारित होगी कि एक इंजन द्वारा प्रतिदिन कूटी जाने वाली मिट्टी की अधिकतम मात्र ... . वर्ग फुट है। यदि संविदाकार की कुव्यवस्था, पानी की कमी या किसी भी अन्य कारण से इंजन को अतिरिक्त समय तक काम करना जरूरी हो जाए तो निर्दिष्ट दरों से अतिरिक्त किराया प्रभार वसूल किया जाएगा।

१३ (१) **डामर वाली सामग्रियों के इस्तेमाल सम्बन्धी शर्ते** :- संविदाकार यह वचन देता है कि वह इस्तेमाल किये गये कोलतार या डामर की सप्लाई करने वाली फर्म द्वारा निर्माण-कार्य के निरीक्षण के लिए व्यवस्था करेगा।

(२) संविदाकार निर्माण-कार्य पूरा होने की तारीख से १ वर्ष के अन्दर देखने में आए, दोषों को सुधारने के लिए जिम्मेदार होगा और जमानत जमा का डामर वाले निर्माण कार्य से सम्बन्धित अंश इस अवधि के बीत जाने के बाद ही वापस किया जाएगा।

१४ (क) **प्रमाण पत्र प्राप्त नलसाजों की नियुक्ति** :- मलजल की मुख्य पाईप लाईन, छोटी सिंचाई निस्पंदित (फिल्टर्ड) और अनिस्पंदित मुख्य नालिका के निर्माण कार्य में संविदाकार को चाहिए कि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नलसाजों को नियोजित करे।

(ख) **लाईसेंस प्राप्त बिजली फोरमैन की नियुक्ति** :- (सिर्फ बिजली सम्बन्धि कार्यो के लिए :-) निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए संविदाकार को चाहिए कि वह लाईसेंस प्राप्त बिजली फोरमैन की नियुक्ति करे।

१५ **जमानत-जमा और बयाने की रकम से छूट** :- जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकृत हुई है उससे प्रत्येक मामलें में बयाने और जमानत जमा की रकम की अदायगी से छूट पाने के लिए ५०,०००/- रूपये की एक मुश्त राशि जमा कर दी है और इस बात पर सहमति हो गई है कि उसके इस निर्माण कार्य के सम्बन्ध में उनके द्वारा कम्पनी की देय कोई भी राशि इस राशि में से वसूल की जा सकती है।

१६ **<u>अतिरिक्त निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित शर्त</u>** :- निर्माण कार्य की अतिरिक्त मदों की संविदा में अनुबद्ध विशिष्टियों से संविदाकार द्वारा विचलन नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिस्थापित परिवर्तित या अतिरिक्त मदों की दरें सक्षम-प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न कर दी गई हो। ऐसा न होने पर कम्पनी इस सम्बन्ध में किसी भी दावे को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

१७ सम्पूर्ण निर्माण कार्य दो या अधिक संविदाकारों के बीच विभाजित कर दिया जाना चाहिए या फिर यदि समोचित समझा जाए तो अंशों में स्वीकार किया जाना चाहिए न कि समग्र रूप में।

१८ इस संविदा से सम्बन्धित सामग्रियों पर देय बिक्री कर या कोई अन्य कर संविदाकार द्वारा देय होगा और कम्पनी इस सम्बन्ध में किसी भी किस्म के दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

१६ किसी भी कार्य की पूर्व में जमा अमानत राशि का इस संविदा कार्य के लिए वांछित अमानत राशि में समयोजन नहीं किया जावेगा।

PRICE BID

S. No.	Item	Qty.	Unit	Rate		Amount
				In Figure	In Words	
Construction & Renovation of Charging drain, desilting of Kyar No. 11 & 12, Charging and discharging drain						
1.	क्यारियों की डिसिल्टिंग का कार्य करके मिट्‌टी को एकत्र कर क्यार से बाहर लगभग एक किलोमीटर लीड तक फैंकने एंव बेड को क्रिस्टेलाईजर के रूप में काम में लेने हेतु साफ करके, लेवल करने का कार्य मय लेबर व यान्त्रिक साधनों सहित हमारे निर्देशानुसार पूर्ण करना होगा। जे0 सी0 बी0 मशीन, ट्रेक्टर ट्रोली व उकराली, मजदूर आदि की व्यवस्था भी पार्टी की होगी।	5574.80	Cum			
2.	Random Rubble stone masonry for with hard stone in foundation and plinth in cement sand mortar above 30 cm thick wall in cement mortar 1:6 (1 Cement : 6 Sand). including labour and material.	161.84	Cum			
3.	Pointing on Brick / Stone work or brick flooring with cement mortar 1:3 (1 Cement : 3 fine sand). including labour and material.	2212.84	Cum			
4.	Providing and laying cement concrete coping 1:2:4 mix 50 mm thick complete as per specification.	274.32	Sqm			
	TOTAL FOR CIVIL WORK					

Note:- 1. During execution of work , the quantities may increase or decrease and contractor shall execute the work at the same rate without any price escalation during the contract period.
2. The rate shall include the cost of all labour, material, equipment etc. used in the work.

Signature of Contractor with Seal